मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

क्र. 5095/NREGS-MP/NR-5/2010 भोपाल, दिनांक 19/05/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला–..........................(समस्त) मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला पंचायत –..........................(समस्त) मध्यप्रदेश।

विषयः– योजना का सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के माध्यम से प्रचार – प्रसार।

—000—

विषयांतर्गत "मुख्यमंत्री सड़क योजना का महात्मा गाँधी रा. ग्रा. रो. गा. स्कीम – म.प्र. एवं बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से अभिसरण के साथ ग्रामीण सड़कों का निर्माण" संबंधी सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का नियमित रूप से संचालन किया जाना है। इस हेतु निम्न बिन्दुओं का समावेश करते हुए कार्ययोजना बनाई जावें :–

1. जिला और जनपद स्तर पर योजना से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जाए। कार्यशाला आयोजित करने संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्न है।
2. जिला एवं जनपद की सामान्य सभा की बैठक में योजना संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए । इस अवसर पर संलग्न पॉवर पॉइंट का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए।
3. पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योजना के संबंध में जानकारी के लिए का एक घंटे का विशेष सत्र आयोजित किया जाए जिसमें उक्त पॉवर पॉइंट का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए।
4. जिला एवं जनपद स्तर पर ग्राम पंचायत के सचिवों की बैठकों में योजना से संबंधित जानकारी एवं प्रश्नोत्तरी सत्र का आयोजन भी किया जाए। ग्राम पंचायत सचिवों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाए।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(संजय दुबे)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

D:\Media\Media - Manual\ inter\sistar Varma Sir\letter\V-2008 - 09.doc

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

पृ. क्र. 5096/NREGS-MP/NR-5/2010 भोपाल, दिनांक 19/05/2010

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
4. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
5. संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन, भोपाल।
7. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
8. संभागीय आयुक्त संभाग– (समस्त)।
9. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल (समस्त)।
10. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग (समस्त)।
11. कार्यक्रम अधिकारी/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(संजय दुबे)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

कार्यशाला आयोजित करने संबंधी दिशा–निर्देश

"मुख्यमंत्री सड़क योजना का महात्मा गाँधी रा. ग्रा. रो. गा. स्कीम – म.प्र. एवं बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से अभिसरण के साथ ग्रामीण सड़कों का निर्माण" संबंधी योजना के सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का संचालन निरंतर किया जाना आवश्यक है। इस हेतु मीडिया, प्रबुद्धजन एवं गणमान्य नागरिकों के साथ निरन्तर संपर्क और समन्वय किया जाना चाहिए। योजना की जानकारी के प्रसार के लिए समय–समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

इसी परिप्रेक्ष्य में "मुख्यमंत्री सड़क योजना का महात्मा गाँधी रा. ग्रा. रो. गा. स्कीम – म.प्र. एवं बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से अभिसरण के साथ ग्रामीण सड़कों का निर्माण" के स्वरूप और उससे संबंधित जानकारियों से मीडिया, प्रबुद्धजन एवं गणमान्य नागरिकों को अवगत कराने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। यह कार्यशालाऐं जिला एवं जनपद स्तर पर आयोजित की जाएगी।

कार्यशाला में जिला एवं जनपद स्तर के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि, प्रबुद्धजन, शिक्षाविद्, विधि विशेषज्ञ आदि को आमंत्रित किया जाए। कार्यशाला के प्रतिभागियों को योजना की जानकारी दी जाए। योजना के स्टेक होल्डरों, क्रियान्वयन एजेंसी, मजदूर आदि के साथ प्रतिभागियों के संवाद का कार्यक्रम भी रहे। कार्यशाला का आयोजन दो स्तरों जिला एवं जनपद मुख्यालयों पर किया जाए।

प्रस्तावित पॉवर पॉइन्ट

प्रेजेंटेशन कार्यशाला हेतु

"मुख्यमंत्री सड़क योजना का महात्मा गाँधी रा. ग्रा. रो. गा. स्कीम – म.प्र. एवं बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से अभिसरण के साथ ग्रामीण सड़कों का निर्माण"

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

उद्देश्य

- कम आबादी वाले ग्रामों को बारहमासी सड़क से सिंगल कनेक्टिविटी
- ग्रामीणों के जीवन यापन के स्तर में सुधार
- आर्थिक विकास की दर में वृद्धि
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसरों की उपलब्धता
- वर्तमान में सड़क निर्माण में, भविष्य में रखरखाव के कार्य में रोजगार
- आवागमन की सुविधा से नई तकनीक के आदान प्रदान प्रक्रिया में गति
- कृषि उपज के विपणन क्षेत्र का विस्तार
- शिक्षा की बेहतर सुविधा
- स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं

2

विशेषताएं

- ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों, नगरों एवं जिला मुख्यालयों से जोड़ने की कारगर व्यवस्था
- महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम– म.प्र. के साथ अन्य मदों के अभिसरण द्वारा ग्रामीण अंचल में संपर्क मार्गों का निर्माण
- महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम– म.प्र. के साथ अभिसरण की अब तक की सबसे बड़ी योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अछूते सामान्य क्षेत्र में 500 एवं आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी के 9338 राजस्व ग्रामों को बारहमासी सड़क (ग्रेवल रोड) से जोड़ना
- वर्ष 2013 तक 3 चरणों में 19386 कि.मी. लंबाई की ग्रेवल रोड का निर्माण
- सड़क निर्माण पर करीब 3 हजार 3 सौ करोड़ रु. का व्यय

कन्वर्जेन्स (तालमेल / समन्वय)

एन. जी. एन.आर.ई.जी.एस. मद से

- ठेकेदारी से प्रतिबंधित कार्य
  - मजदूरी अंश :- जॉबकार्डधारी श्रमिकों से मिट्टी खोदने, बिछाने का कार्य
  - सामग्री अंश– मिट्टी/मुरम सामग्री परिवहन मनरेगा के 60:40 के अनुपात में

बी.आर.जी.एफ. मद से

- ठेकेदारी से प्रचलित कार्य
  - पुल पुलियों का निर्माण कार्य
  - बी.आर.जी.एफ. के 29 जिलों में

मुख्यमंत्री सड़क योजना मद से

- ठेकेदारी से प्रचलित कार्य
  - प्रदेश के सभी 50 जिलों में बेसकोर्स एवं शोल्डर कार्य का निर्माण
  - कार्पेटिंग, सीलिंग का कार्य ठेका द्वारा होना है
  - मनरेगा के 60:40 के अनुपात से अधिक सामग्री का परिवहन
  - गैर बी.आर.जी.एफ. के 21 जिलों में पुल पुलियों का कार्य

कार्य योजना का स्वरूप

विवरण	कुल	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13
अनुमानित लंबाई (कि.मी. में)	19386	5816	7754	5816
कुल अनुमानित लागत (राशि रू. करोड़ में)	3296	989	1318	989
मनरेगा मद से (राशि रू. करोड़ में)	2050	615	820	615
बी.आर.जी.एफ मद से (राशि रू. करोड़ में)	303	90	121	90
मुख्यमंत्री सड़क योजना से (राशि रू. करोड़ में)	943	282	379	282

कार्य नियोजन (1/2)

सड़क चयन की प्रक्रिया

- सड़कों का अनुमोदन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा
- ग्राम के कार्यों के शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल
- बीआरजीएफ जिलों में पुल पुलियों के प्रस्तावों का अनुमोदन जिला योजना समिति द्वारा
- सड़कों की लंबाई एवं बिखरे हुए क्षेत्र के दृष्टिगत क्लस्टर एप्रोच से कार्य
- क्लस्टर में सड़क की न्यूनतम लंबाई 20 एवं अधिकतम 25 कि.मी.

क्लस्टर निर्धारण प्रक्रिया

- क्लस्टरों का निर्धारण कलेक्टर, मु.का.अ. जिला पंचायत एवं का.यं. ग्रामसे द्वारा।
- प्रभारी मंत्री द्वारा क्लस्टरों की पुष्टि
- क्लस्टर का अनुमोदन जिला योजना समिति से।

कार्य नियोजन (2/2)

निर्माण की प्रक्रिया

- सड़क का निर्माण जिले की निकटतम पक्की सड़क से यथा National Highway, State Highway, Major District Road (MDR), Other District Road (ODR), Village Road/Rural Road (PMGSY Road) से लेकर ग्राम के प्रारंभ तक।
- योजनांतर्गत ग्राम की आंतरिक सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा
- प्रथम वर्ष में तुरंत कार्य प्रारंभ करने की आवश्यकता को देखते हुए पारंपरिक तरीके से वाक–थ्रू सर्वे के आधार पर स्वीकृतियां एवं कार्य प्रारंभ करना।
- डीपीआर के आधार पर आवश्यक होने पर पुनरीक्षित स्वीकृति।
- आगामी वर्षों के कार्यों के डीपीआर के आधार पर स्वीकृतियां।

कार्यान्वयन पद्धति

- कार्य संपादन प्रोजेक्ट मोड में पीएमजीएसवाय की तर्ज पर।
- प्रबंधन एवं मानिटरिंग के लिए क्लस्टर एप्रोच
- मजदूरी बाहुल्य मिट्टी का कार्य जॉबकार्डधारी श्रमिकों से
- कम्पेक्शन का कार्य रोलर से
- वाटरिंग का कार्य वाटर टैंकर से
- परिवहन का कार्य ट्रेक्टर, ट्रक अथवा डम्पर से
- डी.पी.आर. पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु फील्ड कंसलटेन्ट

कार्यान्वयन एजेंसी – ग्रामीण यांत्रिकी सेवा।

कार्यान्वयन व्यवस्था

- राज्य स्तर पर, परिषद मुख्यालय एवं विकास आयुक्त कार्यालय में अतिरिक्त अमले की व्यवस्था एमजीएनआरईजीएस– म. प्र. से।
- तकनीकी विषयों में सलाह हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार मंडल का गठन
- संभाग स्तर पर अधीक्षण यंत्री कार्यालय में अतिरिक्त अमले की व्यवस्था एमजीएनआरईजीएस– म.प्र. से।
- कार्यपालन यंत्री (आरईएस) पदेन प्रोजेक्ट मैनेजर 500 कि.मी. से कम लंबाई वाली सड़कों के जिले में
- कार्यपालन यंत्री के अतिरिक्त एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन 500 कि.मी. से अधिक लंबाई वाली सड़कों के 14 जिलों में
- गुणवत्तापूर्वक कार्य संपादन हेतु फील्ड कंसल्टेंट की नियुक्ति

सड़कों का संधारण

- सड़कों का निर्माण 5 वर्ष की डिजाइन लाइफ वाली ग्रेवल सड़क
- सड़क का सामान्यतः प्रतिवर्ष लगभग 25 मिमी (1 इंच) का क्षरण
- डिजाइन के अनुसार, सड़कों का नियमित और वार्षिक संधारण आवश्यक
- संधारण कार्य, एमजीएनआरईजीएस– म.प्र. के दिशा निर्देशों अनुसार
- संधारण कार्य, एमजीएनआरईजीएस – म.प्र. के जाबकार्डधारी श्रमिकों से

तकनीकी पहलू

- इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्ड अनुसार निर्माण।
- वित्तीय संसाधनों के अनुरूप, डिजाईन अवधि 5 वर्ष।
- सड़क की ऊपरी चौड़ाई 6 मी., केरिज–वे की चौड़ाई 3 मी.।
- मापदण्ड अनुसार बेस एवं सर्फेस कोर्स निर्माण
- कोर्स निर्माण के लिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री से 4.75 मिमी से बड़े कंकड़ और 10 मिमी से छोटे आकार का क्रेशर चूरा युक्त सामग्री का उपयोग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तुलना

विवरण	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	[illegible]
सड़क का प्रकार	BT Road का निर्माण।	Gravel Road का निर्माण।
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] MPRRDA [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

12

"मुख्यमंत्री सड़क योजना का महात्मा गाँधी रा. ग्रा. रो. गा. स्कीन – म.प्र. एवं बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से अभिसरण के साथ ग्रामीण सड़कों का निर्माण"

13

500 कि.मी. से अधिक लम्बाई की सड़कों के जिले

स.क्र.		नाम जिला	मार्गो की संख्या	अनुमानित लम्बाई (कि.मी.)
1	*	राजगढ़	567	1190
2		सागर	435	1018
3	*	सतना	382	528
4		विदिशा	424	896
5		जबलपुर	380	838
6		रायसेन	374	836
7		होशंगाबाद	217	762
8	*	सिवनी	197	690
9	*	उमरिया	287	681

14

500 कि.मी. से अधिक लम्बाई की सड़कों के जिले

स.क्र.		नाम जिला	मार्गों की संख्या	अनुमानित लम्बाई (किमी)
१०		छिंदवाड़ा	264	679
११	*	पन्ना	193	657
१२		नरसिंहपुर	301	640
१३	*	दमोह	246	611
१४	*	बालाघाट	156	609
		योग :-	4423	10626

15

500 कि.मी. से कम लम्बाई की सड़कों के जिले

स.क्र.		नाम जिला	मार्गों की संख्या	अनुमानित लम्बाई (किमी)
१		उज्जैन	211	480
२		देवास	170	449
३		नीमच	159	431
४		शाजापुर	198	425
५	*	अशोकनगर	156	416
६		मंदसौर	161	397
७	*	कटनी	134	380
८		गुरैना	177	372
९	*	रीवा	119	344

16

500 कि.मी. से कम लम्बाई की सड़कों के जिले

स.क.		नाम जिला	मार्गों की संख्या	अनुमानित लम्बाई (कि.मी.)
[illegible]	*	शिवपुरी	95	332
[illegible]	*	शहडोल	98	291
[illegible]		सीहोर	187	287
[illegible]	*	धार	121	273
[illegible]	*	मंडला	101	258
[illegible]		ग्वालियर	107	250
[illegible]	*	खरगौन	76	239
[illegible]	*	टीकमगढ़	110	224
[illegible]		रतलाम	129	218

500 कि.मी. से कम लम्बाई की सड़कों के जिले

स.क.		नाम जिला	मार्गों की संख्या	अनुमानित लम्बाई (कि.मी.)
[illegible]		भोपाल	90	203
[illegible]	*	गुना	60	201
[illegible]	*	सीधी	54	199
[illegible]		भिण्ड	118	192
[illegible]	*	श्योपुर	48	190
[illegible]	*	बैतूल	63	156
[illegible]		दतिया	87	152
[illegible]	*	झाबुआ	47	124
[illegible]	*	अनूपपुर	43	121

500 कि.मी. से कम लम्बाई की सड़कों के जिले

क्र.		नाम जिला	मार्गों की संख्या	अनुमानित लम्बाई (कि.मी.)
[illegible]	*	सिंगरौली	33	120
[illegible]		इंदौर	50	117
[illegible]	*	डिण्डोरी	111	108
[illegible]	*	अलीराजपुर	23	103
[illegible]		हरदा	65	93
[illegible]	*	छतरपुर	181	465
[illegible]	*	खण्डवा	30	73
[illegible]	*	बड़वानी	31	60
[illegible]	*	बुरहानपुर	9	23
		योग :-	3650	8760
		महायोग:-	8073	19386

मार्गों की संख्या 9338

* बीआरजीएफ योजना अंतर्गत जिले

धन्यवाद